**आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.**
**उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़**

मु0नं0 134/20

निर्णय दिनांकः–14.12.2020

1. रघुवीर सिंह पुत्र श्री सोहनराम उम्र 60 वष जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)

——————— आवेदक

**बनाम**

1. शीशराम उम्र 80 वर्ष पुत्र सोहनराम जाति जाट, निवासी बिशनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)
2. रणसिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र सोहनराम जाति जाट, निवासी बिशनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)
3. इन्द्राज सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र सोहनराम जाति जाट, निवासी बिशनपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

————अप्रार्थीगण

**आवेदन पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा**
**निर्णय**

संक्षेप में तथ्य वाद इस प्रकार है कि

यह कि प्रार्थी खेत खसरा नं0 164/28 रकबा 0.45है0, खसरा नं0 167/91 रकबा 0.70है0, खसरा नं0 172/91 रकबा 0.81है0 का खातेदार कृषक है तथा खसरा नं0 167/91 की भूमि में पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 शीशराम भूमि खसरा नं0 162/28 रकबा 0.46है0 खसरा नं0 168/91 रकबा 1.51है0 भूमि का व अप्रार्थी संख्या 2 रणसिंह भूमि खसरा नं0 165/28 रकबा 0.45है0, खसरा नं0 169/91 रकबा 0.81है0, खसरा नं. 9'1 रकबा 0.70है0 भूमि का तथा अप्रार्थी सं. 3 भूमि खसरा नं0 163/28 रकबा 0.45है0 भूमि खसरा नं0 170/91 रकबा 0.81है0 खसरा नं. 171/91 रकबा 0.70है0 भूमि का खातेदार कृषक है। तथा अप्रार्थी नं. 1 भूमि खसरा नं. 168/91 अप्रार्थी नं. 2 भूमि खसरा नं. 91 व अप्रार्थी नं. 3 भूमि खसरा नं. 170/91 की भूमि में पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 सगे भाई है। पूर्व में उक्त सभी खसरान भूमि उनके पिता स्व0 सोहनराम की खातेदारी में थी। उस समय भूमियों का ख0नं0 91 रकबा 6.11है0, खसरा नं. 2813 रकबा 1.81है0 था, विभाजन दि[illegible]010 के बाद उक्त नये खसरान नम्बर कायम हुए है। यह कि विभाजन के समय भूमि [illegible]नं0 91 की भूमि में से रास्ते की भूमि हाल खसरा नं0 166/91 रकबा 0.07है0 भूमि शामिल में खेत खसरा नं0[illegible]7/91, 169/91, 171/91 के पूर्व छोर की ओर से तथा भूमि खसरा नं0 168/[illegible], 170/91, 172/91 की भूमि के पश्चिम दिशा की ओर बीचोंबीच ग्राम जाखोद से आने वाले आम रास्ते में से लेकर भूमि खसरा नं0 171/91 व 172/91 की भूमि तक जाने के लिये रास्ते के रूप

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:59:35 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

में छोड़ दी थी जो नक्शे में लाल स्याही से अंकित रास्ता है। यह कि इसी भूमि खसरा नं0 166/91 की भूमि के रास्ते से सभी खातेदार कृषक अपने खेतों में बने घरों में आने जाने के लिये स्वयं, कृषि मजदूर एवं ट्रैक्टर वगैरह ले जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 172/91 व खेत खसरा नं0 161/91 की भूमि व उनमें बने मकान में कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी भारतीय सेना में सेवारत था तथा सेना में सेवाएं देने के अलावा सेवानिवृति के बाद भी कई वर्षों तक दिल्ली में अपने बाल बच्चों व परिवार सहित रहता था। इस दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने रास्ते की भूमि पर पुख्ता अवैद्य निर्माण कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, इसके बाद अप्रार्थीगण 1 व 3 के मकानों के पश्चिम दिशा के सहारे–सहारे आवागमन होता था परन्तु अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 से अनबन होने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के सामलाति रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न कर दी, जिस पर प्रार्थी ने सी जी एम श्रीमान के साथ साथ श्रीमान तहसीलदार सूरजगढ़, जिला कलक्टर झुंझुनूं के अवरूद्ध रास्ता खुलवाने बाबत लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिस पर हल्का पटवारी व गिरदावर हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2020 की रिपोर्ट में वर्तमान स्थिति में रास्ते का समाधान असम्भव बताया है इसके बाद भी मैंने कई प्रार्थना पत्र दी है परन्तु रास्ते का समाधान नहीं हुआ तथा मेरा आवागमन पूर्ण रूप से अवैद्य रूप से बंद कर दिया इसलिये श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते के अभाव में अपने खेत में आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है तथा रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी जो कृषि पर निर्भर है अपनी आजीविका से वंचित रह जायेगा। रास्ता की भूमि ख0नं0 166/91 रकबा 0.07है0 जो नक्शा में लाल स्याही से अंकित किया गया है, जिस पर अप्रार्थी नं. 1 व 3 ने अवैध रूप से पुख्ता निर्माण कर लिया है, उक्त मकानों के पश्चिम दिशा मे मोड़ दिया जाकर रास्ते की भूमि की तरमीम किया जाना आवश्यक है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त आशय का आदेश अप्रार्थी संख्या 4 को दिये जावें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नं. 166/91 रकबा 0.07है0 व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने शामलाति रास्ते के रूप में छोड़ रखी है, जिसे नक्शे में लाल स्याही से ख0 नं0 91, 167/91, 169/91, 171/91 की पूर्वी दिशा के छोर से तथा खसरा नं. 168/91, 170/91, 172/91 के पश्चिम दिशा के छोर के बीचों बीच सीधा दर्शाया गया है को दुरूस्त कर खसरा नं0 168/91 में बने शीशराम के तथा खसरा नं. 170/91 में अप्रार्थी [illegible] कानों से पश्चिम दिशा में मोड़कर मकानों के सहारे–सहारे रास्ता कायम किया जावे अन्यथा [illegible] भूमि पर अवैध मकानों को तुड़वाया जाकर रास्ता कायम करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:59:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तारीख की सूचना दी गयी। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी नं0 4 ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गयी।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा आवेदकगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2020/241 दिनांक 17.09.2020 के अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। इसी भूमि में खाता विभाजन करते समय सलग्न नक्शा के अनुसार खसरा नं. 166/91 रकबा 0.07है0 का छोड़ा गया था। जो मौका नक्शे के अनुसार होना चाहिए था। नया रास्ता कायम करने पर चारो खातेदारों की छोड़ी गयी सामुहिक 0.07है0 भूमि जो खसरा नं. 166/91 दर्ज रिकार्ड है। उसकी स्थिति मौके के अनुसार दुरूस्त की जानी है। इसके अलावा इससे कम दुरी तय करने का कोई रास्ता न्यायोचित नहीं है। इसी रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता है। इसके अलावा उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिए प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिये तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा कमांक राजस्व/2020/241 दिनांक 17.09.2020 के मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह रास्ते की भूमि का रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रास्ते का रकबा पृथक से कायम करें रास्ता मौके पर खुलवाया जावे। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट कमांक पाठक/2020/241 दिनांक 17.09.2020 निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:59:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner